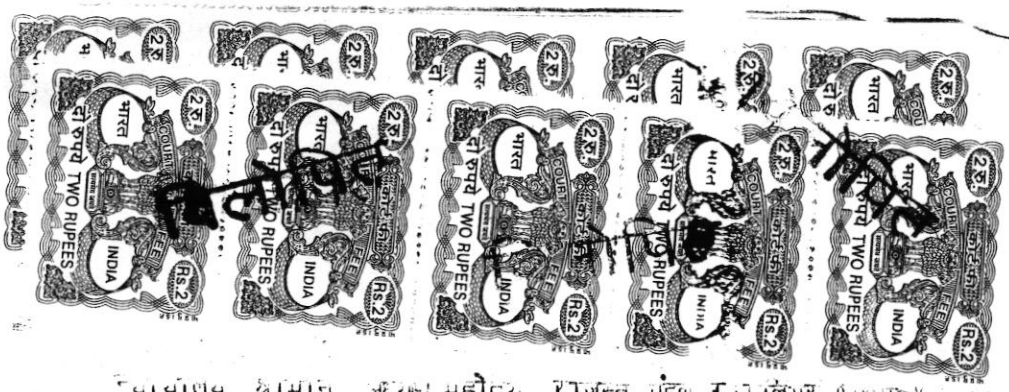

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी - 3532/2018/छतरपुर/भू.रा. प्रकरण क्रमांक /छतरपुर /भू.रा./ 2018/

किशन उर्फ नुन्नी तनय श्री लुंगी रजक उम्र करीब 50 वर्ष

निवासी ग्राम कतरवारी तह0 व जिला छतरपुर म.प्र. ..... आवेदक

बनाम

कुंजी तनय चुन्नालाल अहिरवार उम्र 55 वर्ष निवासी कतरवारा

तह0 व जिला छतरपुर म.प्र. .. अनावेदक

श्री राम० प्रि० भटनागर
द्वारा आज दि० 8-6-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 15-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.
निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त संभाग सागर द्वारा
प्र0क्र0 91/अ19/अपील/2015-16 मे पारित आदेश
दि0 9.4.18 से दुखी होकर ।

महोदय

आवेदक निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है -

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदक की भूमि खसरा नं. 625 रकबा 0.375 हे. पर अनावेदक का/आवेदक का पुस्तैनी आधिपत्य है तथा वंटन कर्मचारियों के द्वारा वंटन के समय न तो गांव मे मुनादी कराई गया न वंटन सूची का कोई प्रकाशन कराया गया एवं न ही हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया गया एवं पट्टा वितरण मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितताये की गई जिसका उदाहरण अनावेदक स्वंय है क्योंकि अनावेदक ने स्वंय एवं अपनी पत्नी सुक्कन के नाम राजस्व अधिकारियों से मिलकर पट्टा प्राप्त कर लिया जो कि राज्य सरकार द्वारा वंटन प्रक्रिया के लिए जारी विज्ञप्ति के विपरीत है चूंकि आवेदक एक अनपढ व्यक्ति है तथा कार्यवाही करने हेतु उसने अधिवक्ता श्री तिवारी को नियुक्त किया था किन्तु उनके द्वारा सही तथ्यों को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है जिस कारण से अधिवक्ता की त्रुटि के कारण आवेदक न्याय पाने से वंचित रह गया है जिससे प्रकरण आधारों पर आदेश यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है ।

// निगरानी के आधार //

2. यह कि अनावेदक के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में विधिक प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्यवाही करने मे भूल की है चूंकि विधि का यह सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न कर प्रश्नाधीन आदेश ...पृ0

निगरानी 3532/2018 | छतरपुर | मु.रा. सरकार
किशन उर्फ पुगला Vs कुंजा

27/8/18

(1) - प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर को सुना गया।

(2) - अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का प्र.क्र. 91/अ-19/ अपील/ वर्ष 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 9/4/18 का अवलोकन किया गया।

(3) - गैर निगरानी कर्ता कुंजा अहिरवार को वर्ष 1998 में भूमि का पट्टा दिया गया था, जिसकी अपील निगरानीकर्ता के द्वारा वर्ष 2014-15 में SDO को की गयी थी, जिसे SDO ने निरस्त किया था। अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील प्रचलन योग्य नहीं पायी।

(4) वर्ष 1998 के बंटन पर 17 वर्ष पश्चात Appeal की गयी थी। यह एक Settled Principle है कि शिकायतकर्ता को Appeal/Revision का कोई अधिकार भूमि बंटन के प्रकरण मे नहीं होता है। भूमि का बंटन भूमि बंटन ग्रहीता की Merits पर होता है। हाँ यदि भूमि निस्तारी होती तो उस पर गाँव के प्रत्येक व्यक्ति का Right होने के कारण वह अपने Rights के लिए Appeal/Revision कर सकते है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में भूमि बंटन योग्य है, अतः शिकायतकर्ता को अन्य को आवंटित भूमि के आदेश पर 17 वर्ष बाद Appeal/Revision का अधिकार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है।

27/8/18